pline guidelines is taken by the oil companies against the erring distributors.

Delay in making payments to pensioners

2222. SHRI BIJOY KRISHNA HANDIQUE: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that retired Defence Personnel/Central Government employees/State Government employees who are drawing pension through Post Office Daulatpur Chowk and Gondpur Banehrs Tehsil—Amb, District, Una, Himachal Pradesh have not been paid pension gratuity, commuted value of pension, arrears of ad-hoc relief sanctioned by Government from time to time and arrears on account of the adoption of liberalised pension formula to pre-31-3-1979 pensioners in accordance with the judgement of the Supreme Court;

(b) if so, what is the number of cases of above mentioned categories pending with the above Post Office;

(c) what are the reasons for the delay in making payment in the above cases and the action that has been taken in this regard against the concerned authorities: and

(d) when these pending cases are likely to be settled and payment is made to pensioners and family pensioners?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI RAM NIWAS MIRDHA): (a) Defence/Central Government pensioners drawing their pension through Daulatpur Chowk and Gondpur Banehra Tehsil-Amb, District Una, Himachal Pradesh, have been paid pension gratuity and commuted value of pension. The payment of relief on pension payable upto November, 1984 has been made to all 82 pensioners drawing their pension from these Post Offices. Payment of arrears of revised pension under Supreme Court judgement to pre-31-3-1979 pensioners has been made except 58 Defence pensioners in whose cases payment authority is to be received from the Controller of Defence Accounts (Pension) Allahabad.

(b) 58 cases in respect of payment of arrears on account of Liberalised Pension Formula in accordance with the Supreme Court judgement are pending and relate to the Defence Pensioners.

(c) These cases (58 cases) are pending in the Una Head Post Office for want of payment authority from the Controller of Defence Accounts (Pen.), Allahabad.

(d) Payment can be made to the Pensioners as soon as the cases are finalised by the Controller of Defence Accounts (Pension), Allahabad.

गांवों में सहायक उद्योगों का स्थापित किया जाना

2223. क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार के समर्थन के बावजूद देश में ग्रामीण और लघु कुटीर उद्योगों की संख्या कम होती जा रही है और इसी प्रकार खादी और ग्रामीण उद्योग लगातार घाटे में चल रही हैं, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार का क्या उचित उपाय करने का विचार है ;

(ख) क्या सरकार का जापान की तरह देश के गांवों में सहायक उद्योग स्थापित करने का विचार है यदि हां, तो किस तरीके से और किन वस्तुओं के लिए स्थापित करना चाहती है ; और

(ग) क्या यह सच है कि गांवों में कृषि, वन और खनिजों आदि पर आधारित ग्रामीणोन्मुख उद्योग स्थापित करने के लिए अभी तक किसी भी प्रकार की आधारित संरचना का विकास नहीं किया गया है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) वर्ष 1980-81 से 1983-84 की अवधि में जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए गए कारीगर-प्रधान और लघु एककों की संख्या दर्शाते हुए वास्तविक स्थिति निम्न प्रकार है :—

वर्ष	ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किये गये एककों की संख्या
1980-81	1,77,532
1981-82	2,40,612
1982-83	2,96,125
1983-84	2,78,383

इससे यह दिखाई देता है कि स्थापित किये गये एककों की संख्या में 1983-84 में थोड़ी कमी होने के अलावा ऐसे एककों की संख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति रही है ।

जहां तक खादी और ग्रामोद्योगों का सम्बन्ध है, पिछले कुछ वर्षों में उत्पादन और रोजगार बढ़ने की प्रवृत्ति दिखाई दी हैं तथा खादी और ग्रामोद्योगों के उत्पादकों को "न लाभ न हानि" के आधार पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के प्रमाणीकरण नियमों के अनुसार व्यवस्थित करने की आवश्यकता है ।

(ख) सहायक उद्योग सरकार द्वारा स्थापित न किये जाकर, बड़े उद्योगों की आवश्यकताओं के आधार पर गैर-सरकारी क्षेत्रफल द्वारा स्थापित किये जाते हैं । तथापि, सरकारी उद्यम ब्यूरो ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अनुषंगीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं ।

(ग) औद्योगिक बस्तियों के निर्माण की योजना में ग्रामीण क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है जो इस प्रकार के एककों के विकास के लिए आवश्यक अवस्थापना सम्बन्धी सुविधायें प्रदान करते हैं । इसके अलावा देश भर में बड़े लघु उद्योग सेवा संस्थानों में उप-संविदा कार्यालय भी स्थापित किये गये है जो ग्रामीण क्षेत्रों सहित अनुषंगीकरण और उप संविदा के संवर्द्धन में लगे एककों की सहायता करेंगे । जिला उद्योग केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किये जाने वाले औद्योगिक एककों के लिए भी तकनीकी परामर्श सेवाओं सहित अनेक सुविधायें देते है ।

दादरी स्थित भारतीय सीमेंट निगम के पी० पी० सी० बनाने वाले कारखाने के लाइसेंस का रद्द किया जाना

2224. **श्री प्यारे लाल खंडेलवाल** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दादरी स्थित भारतीय सीमेंट निगम के पी० पी० सी० बनाने वाले कारखाने का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं और अब तक इस पी० पी० सी० सीमेंट बनाने वाले कारखाने का लाइसेंस कितनी बार रद्द किया गया है ;

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया के चर्खी दादरी एकक का उत्पादन लाइसेंस (औद्योगिक लाइसेंस) रद्द नहीं किया गया है । किन्तु जब पी० पी० सी० हेतु स्वयं प्रमाणीकरण चिन्ह के लिए एकक का लाइसेंस वार्षिक समीक्षा के लिए प्राप्त हुआ तब भारतीय मानक संस्थान (आई० एस० आई०) ने इस पर विचार करना जुलाई, 1985 तक के लिए आस्थगित कर दिया था क्योंकि नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के बदरपुर एकक से प्राप्त किया जा रहा फलाई ऐश घटिया पाया गया था । इस एकक के मामले में इस प्रकार का यह पहला अवसर है ।